उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

आपराधिक संशोधन सं0- 661 का 2022

चरणजीत सूद ..... संशोधनवादी

बनाम।

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... प्रतिवादी

मौजूद-
श्री वैभव सिंह चौहान, संशोधनवादी के अधिवक्ता।
श्री बी पी यस मेर, राज्य के लिए स्थायी वकील।

निर्णय

माननीय जज रविन्द्र मैथानी, (मौखिक)

इस रीविजन में 06.08.2022, 27.09.2022 और 13.10.2022 के आदेशों को चुनौती दी गई है।आपराधिक मामला सं। 2021 की 227, श्रीमती. रश्मि सूद बनाम चरणजीत सूद, प्रधान न्यायाधीश की अदालत, परिवार न्यायालय, हरिद्वार, हरिद्वार ("मामला") द्वारा।दिनांक 06.08.2022 के विवादित आदेश द्वारा, नीचे दी गई अदालत ने निर्देश दिया है कि मामले को संशोधनवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी; दिनांकित *27.09.2022 के* विवादित आदेश द्वारा, संशोधनवादी द्वारा दिनांकित 06.08.2022 के आदेश को दरकिनार करने के लिए दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया गया है और दिनांकित 13.10.2022 के विवादित आदेश द्वारा, कानूनी व्यवसायी की सहायता मांगने वाले संशोधनवादी के आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. संशोधनवादी की विद्वान अधिवक्ता सुनी और अभिलेख का अध्ययन किया।

3. यह मामला प्रतिवादी 2 और 3 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("संहिता") की खंड 125 के से दायर एक आवेदन पर आधारित है। यह मामले का आधार है।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि मामले में, संशोधनवादी उपस्थित नहीं हुआ और अदालत ने 06.08.2022 पर आदेश दिया कि मामला उसके विरुद्ध *एकपक्षीय आगे* बढ़ेगा। इसके बाद, संशोधनवादी द्वारा दिनांकित 06.08.2022 ने आदेश को दरकिनार करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे दिनांकित 27.09.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

5. इसके बाद, 13.10.2022 पर, संशोधनवादी ने एक कानूनी व्यवसायी की सहायता लेने के लिए एक आवेदन दायर किया, लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि मामले को पहले ही उसके विरुद्ध एकतरफा आगे बढ़ने का आदेश *दिया जा* चुका था, एकपक्षीय खारिज कर दिया गया है ।

6. न्यायालय संशोधनवादी के विद्वान अधिवक्ता खंड जानना चाहता था कि कुछ आदेशों को दरकिनार करने के लिए

आवेदन क्यों दायर किया जा सकता है, जिसके द्वारा संहिता की धारा 125 के से आवेदन को एकतरफा आगे बढ़ने का आदेश दिया *गया है? संहिता,* कोई भी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश IX नियम 6(1)(a) के तहत निहित प्रावधान के अनुरूप कोई प्रावधान निर्धारित नहीं करती है। वास्तव में, सिविल संहिता के आदेश IX नियम 7 के अनुरूप संहिता में कोई प्रावधान नहीं है। प्रक्रिया, 1908 संहिता की खंड 126 (2) में प्रावधान किया गया है कि संहिता की खंड 125 के अंतर्गत मामलों में सभी साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति में दर्ज किए जाएंगे जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है। किंतु इसके परंतुक में न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है, जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो मामले का एकपक्षीय विनिश्चय किया जा सकता है और एकपक्षीय आदेश को अपास्त किया जा सकता है।संहिता की खंड 126 इस प्रकार हैः-

> "126. **प्रक्रिया।- (1)** खंड के से कार्यवाही 125 किसी भी जिले में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लिया जा सकता है -
>
> (a) वह कहाँ है, या
>
> (b) जहाँ वह या उसकी पत्नी रहते हैं, या
>
> (c) जहां वह आखिरी बार अपनी पत्नी के साथ रहता था, या जैसा भी मामला हो, अवैध बच्चे की मां के साथ रहता था।
>
> (2) ऐसी कार्यवाहियों में सभी साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति में लिए जाएंगे जिसके विरुद्ध भरण-पोषण के

भुगतान का आदेश दिया जाना प्रस्तावित है, या जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति समाप्त हो जाती है, तो उसके वकील की उपस्थिति में, और समन-मामलों के लिए निर्धारित तरीके से दर्ज किया जाएगाः

बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है **कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण-पोषण के भुगतान का आदेश दिया जाना प्रस्तावित है, जानबूझकर एकपक्षीयवा एकपक्षीय बच रहा है, या जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित होने की उपेक्षा कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट मामले को एक तरफा सुनने और अपास्त के लिए आगे बढ़ सकता है और इस तरह किया गया कोई भी आदेश उसकी तिथि एकपक्षीय तीन महीने** के भीतर किए गए आवेदन पर दिखाए गए अच्छे कारण के लिए अलग रखा जा सकता है, बशर्ते कि भुगतान की शर्तों सहित ऐसी शर्तों के अधीन हो। विरोधी पक्षकार को खर्चा जो मजिस्ट्रेट उचित समझे।

(3) धारा 125 के से आवेदनों पर विचार करने में न्यायालय को लागत के बारे में ऐसा आदेश देने खंड शक्ति होगी जो न्यायसंगत हो।"

(महेत्व दिया गया)

7. संहिता की खंड 126 मात्र यह बताती है कि संहिता की खंड 125 के मामले में साक्ष्य पक्षों की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश मांगा जाता है, जानबूझकर सम्मन देना की एकपक्षीय बचता है या अदालत में उपस्थित होने में लापरवाही करता है, तो *अदालत मामले की एकतरफा सुनवाई कर सकती है।*

8. यदि कोई आदेश पारित किया जाता है कि संहिता की धारा 125 के आवेदन पर एकतरफा *सुनवाई की* जाएगी और बाद की तिथि को, वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध भरण-पोषण के लिए ऐसा आदेश मांगा गया है, उपस्थित होता है, तो एकपक्षीय को अपनी भागीदारी से वंचित कैसे किया जा सकता है?

9. संशोधनवादी के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि इस स्तर पर वह अपनी प्रार्थना को दिनांकित 13.10.2022 आदेश तक सीमित करता है, जिसके द्वारा संशोधनवादी को एक विद्वान कानूनी व्यवसायी की सहायता से वंचित कर दिया गया है।

10. अनुभाग 13 परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 ("अधिनियम") के अनुसार अन्य बातों के साथ में यह प्रावधान किया गया है कि "किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी मुकदमे या मुकदमे का कोई पक्षकार नहीं है। परिवार न्यायालय के समक्ष कार्यवाही, अधिकार के रूप में, एक कानूनी व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगाःबशर्ते कि यदि परिवार न्यायालय न्यायाधीश के हित में इसे आवश्यक समझता है, तो वह न्यायालय मित्र के रूप में किसी कानूनी विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।"

11. संशोधनवादी एक कानूनी व्यवसायी की सहायता मांग रहा था। वह अधिनियम की धारा 13 को ध्यान में रखते हुए अधिकार के रूप में इस मामले का हकदार नहीं है, लेकिन साथ ही, इस आधार पर इसे इंकार नहीं किया जा सकता है कि उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पहले ही *दे दिया* गया है। इसलिए, 13.10.2022 दिनांकित आदेश कानून के अनुसार नहीं है। इसे अलग रखा जाना चाहिए।

12. पुनरीक्षण की अनुमति है।

13. मामले में पारित दिनांक 13.10.2022 के विवादित आदेश को रद कर दिया गया है।

14. निचली अदालत को निर्देश दिया जाता है कि वह संशोधनवादी द्वारा दायर कानूनी व्यवसायी की सहायता लेने के लिए आवेदन पर कानून के अनुसार निर्णय ले, इस तथ्य के बावजूद कि मामले को पहले ही संशोधनवादी *के विरुद्ध* एकपक्षीय आगे बढ़ने का आदेश दिया जा चुका है।

(रविन्द्र मैथानी, (जज)
16.11.2022

रवि बिष्ट